कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी इलाहाबाद।
पत्र संख्याः– सीएफओ/अ0प्र0(प्रो0)/2018 दिनांकः– सितम्बर 10, 2018
सेवा में,

अधिकृत प्रतिनिधि,
श्री मयंक जायसवाल डारेक्टर, दि इन्नोवेटर्स डिजिटल,
एड्स प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या–82, 83, 85, 86 मौजा,
जलालपुर धोसी, तहसील सदर जिला इलाहाबाद।

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण प्रत्र

सन्दर्भः– यूआईडी संख्या–2018/50132/इला0/इलाहाबाद/455/डीडी दिनांक– 18.08.2018

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स– श्री मयंक जायसवाल डारेक्टर, दि इन्नोवेटर्स डिजिटल एड्स प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या–82, 83, 85, 86 मौजा जलालपुर धोसी, तहसील सदर जिला इलाहाबाद जिसमें तलो की संख्या भूतल + 07 व बेसमेन्ट निल है । जिसकी ऊँचाई 23.75 मीटर तथा प्लाट एरिया (क्षेत्रफल 7040.00 वर्गमीटर) है । भवन का अधिभोग आवासीय भवन के अन्तर्गत श्री मयंक जायसवाल डारेक्टर, दि इन्नोवेटर्स डिजिटल एड्स प्रा0लि0 द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं ततसम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया हैं। इस भवन को प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र एन0बी0सी0की अधिभोग आवासीय श्रेणी ए–4 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (fire & life safety certificate) प्राप्त किया जायेगा।
नोटः– भवन में प्रत्येक तल पर बने कॉरीडोर के डेडइन्ड से नजदीकी सीढी की दूरी 15 मी0 से अधिक नही होगी, इसे सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नः– अग्निशमन अधिकारी की आख्या एवं अनुमोदित,
मानचित्र

(आर0एस0मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
इलाहाबाद।

प्रतिलिपिः–1– सचिव/अपर सचिव इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद को सूचनार्थ।
2– अग्निशमन अधिकारी सिविल लाइन्स इलाहाबाद को सूचनार्थ।

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी सिविल लाइन इलाहाबाद

पत्र संख्याः—2018 / 50132 / इला0 / इलाहाबाद / 455 / डीडी दिनांक,सितम्बर 08, 2018

सेवा में,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
इलाहाबाद।

विषयः—खसरा संख्या— 82, 83, 85, 86 मौजा जलालपुर धोसी, तहसील सदर जिला इलाहाबाद (क्षेत्रफल 0.7040 हेक्टेयर) पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवनों के निमार्ण हेतु दाखिल मानचित्र पर प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण—पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः पत्रांक—218 / प्र0अ0(त0स0) / जोन—2 / वि0प्रा0 / 2017—18 दिनांक 14.08.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्रांक—218 / प्र0अ0 (त0स0) / जोन—2 / वि0प्रा0 / 2017—18 दिनांक 14.08.2018 के माध्यम से आवेदक श्री मयंक जायसवाल डारेक्टर, दि इन्नोवेटर्स डिजिटल एड्स प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या—82, 83, 85, 86 मौजा जलालपुर धोसी, तहसील सदर जिला इलाहाबाद (क्षेत्रफल 0.7040 हेक्टेयर) पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले फ्लैटों के निर्माण हेतु दाखिल मानचित्र पर प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। आवेदक श्री मयंक जायसवाल डारेक्टर, दि इन्नोवेटर्स डिजिटल एड्स प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या—82, 83, 85, 86 मौजा जलालपुर धोसी, तहसील सदर जिला इलाहाबाद (क्षेत्रफल 0.7040 हेक्टेयर) पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले फ्लैटों के निर्माण हेतु दाखिल मानचित्र का अकिंत मापों के आधार पर मुझ अग्निशमन अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थल का निरीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है—

<u>भवन की संरचनाः—</u>

1— कुल भूखण्ड एरियाः — 7040.00 वर्गमीटर
2— बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया— निल वर्गमीटर
3— भूतल तल का कवर्ड एरियाः— 1314.38 वर्गमीटर
4— प्रथम तल से सातवें तल तक का टिपिकल कवर्ड एरिया (प्रत्येक तल) 1284.55 वर्गमीटर
5— भवन की ऊँचाई : — 23.75 मीटर
6— भवन का अधियोग एवं हैजार्ड श्रेणी— प्रश्नगत भवन अधिभोग एन0बी0सी0—2016 के अनुसार आवासीय भवन श्रेणी—ए—4 के अन्तर्गत वर्गीकृत है।
7— रिफ्यूज एरिया— अपेक्षित नही है।

<u>ढॉचागत व्यवस्थायें:—</u>

1— **पहुॅच मार्गः** —भूखण्ड के सामने मानचित्र में 12 मीटर रोड की चौडाई है।
2— **प्रवेश द्वारः**— प्रवेश द्वार की चौडाई मानक के अनुसार है।
3— **सेट बैकः**— भवन का सेटबैक निम्नवत है—
1— अग्रभाग — 8.578. मीटर

2– पृष्ठभाग– 8.997 मीटर

3– पार्श्वभाग प्रथम– 8.995 मीटर

4– पार्श्वभाग द्वितीय– 8.00 मीटर

उपरोक्त भवन के सेटबैक भवन नियमावली के क्लाज 3.4.2 के अनुसार अनुमन्य हैं, तथा उपलब्ध कराये गये मानचित्र में प्रदर्शित है। सेटबैक मे किसी भी तरह का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा। भवन के निर्माण में एन0बी0सी0–2016 पार्ट–4 के बिन्दु 3.4.6.1 का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

निकास मार्ग–प्रश्नगत भवन मानचित्र में 03 जीना जिसकी चौडाई 1.5 मीटर तथा लिफ्ट का प्राविधान किया गया है ।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–

1– भूमिगत टैंक :– प्रश्नगत भवन में भूमिगत टैंक अपेक्षित नही है।

2– होजरीलः– प्रत्येक तल पर आई0एस0–3844 मानक के अनुसार होजरील ,लैण्डिंग बाल्ब प्रत्येक फ्लोर पर अपेक्षित है।

3–डाउन कमर– डाउन कमर मानक के अनुसार अपेक्षित है ।

4– फायर पम्पः– अपेक्षित नही हैं।

5– फायर सर्विस इनलेटः– प्रस्तावित सम्पूर्ण होटल भवन के परिसर में हाइड्रेन्ट, होज कैबिनेट,डिलेवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान भारतीय मानक 13039–1991 के अनुसार अपेक्षित नही है।

6– हस्तचलित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत भवन में मैनुअल आपरेटेड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0–2016 मानको के अनुरूप प्राविधानित किया जाय।

7– स्वाचालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः– प्रस्तावित भवन में एन0बी0सी0–2016 के अनुसार स्वाचालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम अपेक्षित नही है।

8–स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः– प्रश्नगत भवन में स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 2016 मानक के अनुसार अपेक्षित नही है।

9–टेरिस टैंकः– प्रश्नगत भवन की टेरिस पर 25,000 लीटर क्षमता का टेरिस टैंक प्राविधानित है।

10– टेरेस पम्प :– प्रश्नगत भवन के टेरिस पर 900 एलपीएम क्षमता का टेरेस पम्प अपेक्षित है।

11– प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर) :– प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 2190 के अनुसार प्रत्येक फ्लोर पर स्थापित किया जाये ।

12– स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टमः– फायर चैक डोर ,स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग कार्य अपेक्षित नही है।

13– प्रेशराईजेशन प्रणालीः– अपेक्षित नही है।

14– एक्जिट साइनेजः –प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज स्थापित किया जाय।

15:– पी0ए0 सिस्टमः– पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित किया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार श्री मयंक जायसवाल डारेक्टर, दि इन्नोवेटर्स डिजिटल एड्स प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या–82, 83, 85, 86 मौजा जलालपुर धोसी, तहसील सदर जिला इलाहाबाद (क्षेत्रफल 0.7040 हेक्टेयर) पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले फ्लैटों के निर्माण हेतु दाखिल मानचित्र पर प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किये जाने की संस्तुति कि जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/ईकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा एन0बी0सी0–2016 के खण्ड–4 की प्रस्तावना के अनुसार भवन मे प्रशिक्षित फायर इन्जीनियर से मार्ग दर्शन लिया जाना उचित होगा। ताकि अग्निशमन व्यवस्थाओं का उचितानुसार समावेश हो सके। भवन में प्राविधानित अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा । अन्यथा निर्गत किया जा रहा प्रोविजिनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(लाल जी गुप्ता)
अग्निशमन अधिकारी
सिविल लाइन इलाहाबाद।